उत्तराखण्ड भूसम्पदा नियामक प्राधिकरण

(Uttarakhand Real Estate Regulatory Authority)

5th फ्लोर, राजीव गाँधी बहुउद्देशीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

नियुक्ति / विज्ञापन

विज्ञापन सं0–1458/रेरा–44/2019 दिनांक. 14 नवम्बर, 2019

उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, में 'सहायक लेखाकार के एक (01) पद, तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) के एक (01) पद एवं सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता) के एक (01) पद पर 'प्रतिनियुक्ति' के आधार पर नियुक्ति/भर्ती हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय विभागों/निगमों/प्राधिकरणों में कार्यरत अर्ह/पात्र कर्मचारियों/अधिकारियों से उनके नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से पंजीकृत डाक द्वारा अथवा हाथों हाथ उत्तराखण्ड राज्य भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण, देहरादून के कार्यालय में दिनांक 13.12.2019 तक निर्धारित प्रपत्र में निम्नानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

1– पद का विवरण :–

क्र0सं0	पद का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या	योग्यता	अभियुक्ति
01	सहायक लेखाकार	5200–20200+2800	01	मौलिक रूप से सहायक लेखाकार पद पर नियुक्त व्यक्ति। बी0कॉम0 (एकाउन्टेंसी के साथ), स्नातक स्तरीय चार्टर्ड एकाउण्टेंसी (सी0ए0) प्रमाण पत्र को वरीयता दी जाएगी। कम्प्यूटर पर टंकण एवं ईमेल आदि का ज्ञान भी आवश्यक होगा।	प्रतिनियुक्ति
02	तकनीकी अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता सिविल स्तर)	15600–39100+6600	01	मौलिक रूप से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पद पर नियुक्त व्यक्ति। अधिशासी अभियन्ता पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति
03	सहायक तकनीकी अधिकारी (सहायक अभियन्ता सिविल स्तर)	15600–39100+5400	01	मौलिक रूप से सहायक अभियन्ता (सिविल) पद पर नियुक्त व्यक्ति। सहायक अभियन्ता पद पर 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।	प्रतिनियुक्ति

जो अभ्यर्थी दिनांक 07.10.2019 के विज्ञापन के क्रम में इनमें से किसी पद के लिए आवेदन पत्र दे चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन पत्र देना आवश्यक नहीं है। किन्तु उनके आवेदन पत्र सक्षम पदाधिकारी (नियुक्ति पदाधिकारी) द्वारा अग्रसारित होने चाहिए।

2– प्रतिनियुक्ति अवधि :–

प्रतिनियुक्ति पर यथा प्रक्रिया 03 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति की जाएगी जो अधिकतम दो वर्ष हेतु बढ़ाई जा सकेगी।

3–प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया :–

(1) उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण आरक्षण के विद्यमान नियमों को दृष्टिगत् रखते हुए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त शासकीय विभागों, निगमों एवं प्राधिकरणों में कार्यरत अर्ह/पात्र, कर्मचारियों/अभियन्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर साक्षात्कार द्वारा चयन की कार्यवाही सम्पादित करेगा।

(2) सम्यक् रूप से पूर्ण प्राप्त आवेदन पत्रों को ही चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र में यह स्वप्रमाणित कथन दिया जाना अनिवार्य होगा कि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में न तो कोई दण्डादेश पारित हुआ है और न कोई अनुशासनात्मक अथवा सतर्कता कार्यवाही लम्बित है।

(4) नियोक्ता अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं दण्डित न होने और कोई अनुशासनिक एवं सतर्कता कार्यवाही लम्बित न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही नियुक्ति की जाएगी।

(5) नियुक्ति से पूर्व चयनित अभ्यर्थी के सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति, संतोषजनक सेवा का तथा सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाही लम्बित नहीं होने एवं दण्डित न हुए होने का प्रमाण–पत्र भी प्राप्त किया जाएगा।

(6) चयनित अभ्यर्थी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के आदेश निर्गत होने की तिथि से अधिकतम 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(7) चयनित अभ्यर्थियों को उपरोक्तलिखित वेतनमान के अनुसार शासकीय कार्मिकों के समान वेतन एवं भत्ते अनुमान्य होंगे परन्तु उसका वेतन अपने पैतृक विभाग में मौलिक पद पर प्राप्त वेतन से कम नहीं होगा।

(विष्णु कुमार)
अध्यक्ष